



# वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू०वि०वि०/डी०एस०डब्ल्यू/119 /2025-26  
प्रेषक,

दिनांक : 04.04.2025

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।

सेवा में,

- ✓ 1-समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष  
परिसर पाठ्यक्रम  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।
- 2-समस्त प्राचार्य/प्राचार्या  
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।

विषय:-दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना हेतु वर्तमान दिशा-निर्देश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: C4958/दि०ज०स०वि०/नि०को०/2024-25 दिनांक 24 मार्च, 2025 का अवलोकन करने के कष्ट करें, जो दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न पदों हेतु भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना के संचालन के सम्बन्ध में है। (छात्रा प्रति संलग्न)

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांग छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के दिशा-निर्देशों (guidelines) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसे विभाग द्वारा अम्बरेला योजना दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। तदनुसार निःशुल्क कोचिंग योजना के सम्बन्ध में किए गए परिवर्तन से संज्ञानित होने एवं तदनुसार दिव्यांग छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के दिशा-निर्देशों में दी गयी व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

*Admnf*  
04/04/25

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:-

- 1-निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- 2-वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
- 3-उप कुलसचिव, छात्रवृत्ति के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण



प्रेषक

निदेशक

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

कुल सचिव,



पत्रांक-८५१५८/दि०ज०स०वि०/नि०को०/२०२४-२५ लखनऊ :

दिनांक-२५ मार्च, 2025

विषय-दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना हेतु वर्तमान दिशा-निर्देश में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न पदों हेतु भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना का संचालन किया जाता है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-1/909022/2025/65-1099/48/2024, दिनांक-20 मार्च, 2025 (छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-SK-11047/1/2025-Skill(E.Comp-43140) दिनांक-24.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांग छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के दिशा-निर्देशों (guidelines) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसे विभाग द्वारा अम्बरेला योजना दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को अन्तर्गत किया/नियंत्रित किया जा रहा है। तदनुसार निःशुल्क कोचिंग योजना के संघ में किये गये परिवर्तन से संज्ञानित होने एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है।

अतः शासन के उक्त पत्र दिनांक-20 मार्च, 2025 में की गयी अपेक्षानुसार भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक-24.02.2025 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुसंध के साथ प्रेषित की जा रही है कि दिव्यांग छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के दिशा-निर्देशों में दी गयी व्यवस्थानुसार आप अपने विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्र/छात्राओं को योजनान्तर्गत से लाभान्वित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(रणजीत सिंह)

संयुक्त निदेशक,

कृते निदेशक।

11/2/2025  
26/3/25  
अतिरिक्त  
घास के बंध  
M

26/3/25

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलीय निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०।

Dr. Mamraj K. Pandey  
for N.A.  
Adm  
29/03/25

(रणजीत सिंह)

संयुक्त निदेशक,

कृते निदेशक।



प्रेषक,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

कुल सचिव,

पत्रांक-ए-५५५४/दि०ज०स०वि०/नि०को०/२०२४-२५ लखनऊ :

दिनांक-२५ मार्च, २०२५

विषय-दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना हेतु वर्तमान दिशा-निर्देश में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न पदों हेतु भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना का संचालन किया जाता है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-।/१०१०२२/२०२५/६५-१०११/४८/२०२४, दिनांक-२० मार्च, २०२५ (छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-SK-11047/1/2025-Skill(E.Comp-43140) दिनांक-२४.०२.२०२५ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांग छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के दिशा-निर्देशों (guidelines) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसे विभाग द्वारा अम्बरेला योजना दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। तदनुसार निःशुल्क कोचिंग योजना के संबंध में किये गये परिवर्तन से संज्ञानित होने एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है।

अतः शासन के उक्त पत्र दिनांक-२० मार्च, २०२५ में की गयी अपेक्षानुसार भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक-२४.०२.२०२५ की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि दिव्यांग छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के दिशा-निर्देशों में दी गयी व्यवस्थानुसार आप अपने विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्र/छात्राओं को योजनान्तर्गत से लाभान्वित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-व्योक्त।

भवदीय,

(रणजीत सिंह)

संयुक्त निदेशक,

कृते निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक-उपर्युक्तानुसार।प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-२, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०।

(रणजीत सिंह)

संयुक्त निदेशक,

कृते निदेशक।



संख्या-909022/2025/65-1099/48/2024

प्रति,

श.के.डी. कुमार यादव,  
उप निदेशक,  
उत्तर प्रदेश शासन।

साथ में,

निदेशक,  
विश्यागजन सशक्तीकरण विभाग,  
उत्तर प्रदेश।

कम्प्यूटर सं० 2065

दिनांक 21-03-2025

विश्यागजन सशक्तीकरण अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2025

विश्यागजन सशक्तीकरण के तहत निःशुल्क कोचिंग योजना हेतु वर्तमान दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

भवदीय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवर निदेश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं विश्यागजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या-SK-11047/1/2025-Skill(E Comp-43140), दिनांक 24.02.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विगत मासिक सत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं विश्यागजन सशक्तीकरण विभाग के मध्य सहकारिता में विश्यागजन के तहत निःशुल्क कोचिंग के वर्तमान दिशा-निर्देशों में कुछ संशोधन किया है, जिसे विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के छात्रों के अंतर्गत प्रियान्वित किया जा रहा है। तदनुसार निःशुल्क कोचिंग योजना के संबंध में किये गये परिवर्तन से संज्ञानित होने की प्रार्थना की जाती है।

निदेशक

इन सम्बन्ध में भुक्त यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत पत्र में की गयी अपेक्षा के अनुसार निःशुल्क कोचिंग योजना के संबंध में किये गये परिवर्तन से संज्ञानित होने एवं तदनुसार आवश्यक

संलग्नक: संशोधित

संलग्नक: संशोधित

भवदीय,

Signed by (श.के.डी. कुमार यादव)

Rakesh Kumar Yadav

Date: 18-03-2025 18:56:00

जी.के.डी. कुमार यादव

उप निदेशक

श.के.डी. कुमार यादव



08 भा.स. / 65-1-2025  
NO. 6985 MS/GI/2025

SK-11047/1/2025-Skill (E.Comp 43140)

भारत सरकार / Government of India

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities

अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003  
Antyodaya Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003

दिनांक / Dated: 24/02/2025

To,

1. Chief Secretaries/Principal Secretaries of all States/UTs.(as per list)
2. All NIs/CRCs/Implementing Agencies concerned.(as per list)

Subject:- Revision of the existing guidelines for the scheme of Free Coaching for Students with Disabilities (SwDs).

Sir/Madam,

I am directed to say that the competent authority of this Department has approved the certain modifications in the existing Guidelines of Free Coaching for Students with Disabilities (SwDs) which is being implemented by this Department under the Umbrella Scheme "Scholarships for Students with Disabilities".

2. Accordingly, the changes, as per Annexure, in respect of the Free coaching Scheme shall be effective from the date of issue of this letter. The complete Guidelines of the Scholarship Scheme of this Department is available on <https://depwd.gov.in>.

1184/VS(A)/25  
JS/DS

Encl:- As above

28/2/25  
विशेष सचिव  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,  
उत्तर प्रदेश

प्र.स. दिव्यांगजन सशक्तिकरण

Yours Sincerely,

Ajay  
24/02/25

(Ajay Kumar)

24/02/2025  
विशेष सचिव एवं राष्ट्रीय अधिकारी  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश

114/PSDS/2025  
VS(A)

for information to:-

1. PS to Hon'ble Minister SJ&E
2. PS to Hon'ble MoS (RA)/PS to Hon'ble MoS (BLV)
3. Sr. PPS to Secretary, DEPwD
4. PPS to to to D DG
5. PS to JS & FA
6. To all Directors/DS of DEPwD

28/2/25

D.S

28/2/25  
विशेष सचिव  
मुख्य सचिव  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,  
उत्तर प्रदेश

50-2

28/2/25  
सचिव  
विशेष सचिव  
मुख्य सचिव  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,  
उत्तर प्रदेश

28.02.2025  
(सुभाष चन्द शर्मा)

प्रमुख सचिव  
विशेष सचिव  
मुख्य सचिव  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,  
उत्तर प्रदेश



Mon Feb 24, 2025 05:28 PM

1 attachment

CC: Ashutosh Nijangen <cofficeofman@spj.gov.in>, drishatbanerjee@gmail.com, msoffice-sje@gov.in, Sh Rajesh Aggarwal <secretaryda-msoffice.in>, DDG DEPRD <ddg-deprd@gov.in>, Debolina Thakur <thakurdebola@gov.in>, Vineet Singhal <vineet.singhal17@gov.in>, Pradeep A <pradeep.annudhan@gov.in>, A.K. PANDAY <ak.panday@spj.in>, Ipsita Mitra <mitra.ipsita@gov.in>, NITHALI RAM <nithali.ram@gov.in>, Sumit Chawla <s.dhawal@gov.in>, MASEER SINGH <maseer.singh18@gov.in>, Ajay Kumar Section Officer <ajay.kumar784@gov.in>, dsad@vsnl.net21@gmail.com

Reproduced by permission of the publisher, Cambridge University Press

doi:10.1371/journal.pone.0141502.g002

© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Minerals and Vitamins: sources and functions defined

### Can a Computer Be Self-Reflective?

File Transfer (FTP). Download at <http://www.pearsoned.com>

102864-4-ARTICLE IN PRESS

- Revision of the existing guidelines for the scheme of free coaching for students\_organized (2).pdf

1. What is the purpose of the study?  
2. What are the research objectives?  
3. What are the research questions?  
4. What are the hypotheses?



Sl. No.	Para of existing guidelines	Existing provision	Current Provision
1	14.5	<p><b>APPROVAL OF THE IMPLEMENTING AGENCY</b></p> <p>The Selection Committee shall recommend the implementing agencies based on the availability of physical and academic infrastructure and other requirements to implement the free coaching scheme shall have the following composition:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Joint Secretary, Scholarship, DEPwD- Chairperson</li> <li>Joint Secretary and Financial Advisor, DEPwD or representative not below the rank of Deputy Secretary- Member</li> <li>Director/ Deputy Secretary, Scholarship, DEPwD- Member</li> </ol> <p>Secretary, DEPwD will be approving authority to the recommendation of selection committee.</p>	<p><b>APPROVAL OF THE IMPLEMENTING AGENCY</b></p> <p>The Selection Committee which shall recommend the implementing agencies based on the availability of physical and academic infrastructure and other requirements to implement the scheme shall have the following composition:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Joint Secretary and equivalent officer (dealing with Free Coaching Scheme), DEPwD- Chairperson</li> <li>Joint Secretary and Financial Advisor, DEPwD or his/ her representative not below the rank of DS/Director- Member</li> <li>Director/ Deputy Secretary (dealing with Free Coaching Scheme), DEPwD- Member</li> </ol> <p>Secretary, DEPwD will be approving authority to the recommendation of selection committee.</p>
2	14.7 (iv)	<p><b>ELIGIBILITY CRITERIA AND OTHER CONDITIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES</b></p> <p>Unique Disability ID (UDID) number or UDID Enrolment number with Disability Certificate is mandatory</p>	<p><b>ELIGIBILITY CRITERIA AND OTHER CONDITIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES</b></p> <p>Unique Disability ID (UDID) number is mandatory</p>
3	14.10 (i)	<p><b>MODE OF DISBURSEMENT OF STIPEND AND FEE:-</b></p> <p>Coaching Fee/Tuition fee shall be released on advance basis through a Central Nodal Agency (CNA). CNA would release payment to the Implementing Agency on Monthly/Quarterly basis.</p>	<p><b>MODE OF DISBURSEMENT OF STIPEND AND FEE:-</b></p> <p>(i) The coaching/tuition fee shall be reimbursed to the Implementing Agency (IA) on quarterly basis.</p>

A22